पटना में दिनांक–25 मार्च, 2013 सोमवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

सहकारिता विभाग

1. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 में संशोधन हेतु बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 के प्रारूप का अनुमोदन। — 1. **स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

2. बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 में संशोधन हेतु बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 के प्रारूप का अनुमोदन। — 2. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

3. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंतर्गत प्रस्थापना व्यय हेतु ₹ 1,50,00,000.00 (एक करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 3. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

4. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006/11 के अन्तर्गत प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन देय सुविधाओं हेतु उपलब्ध ₹ 30000.00 लाख में से डी०जी०सेट/कैपटिव पावर प्लान्ट की स्थापना पर अनुदान/पूँजीगत अनुदान एवं अन्य देय सुविधाओं अनुदान हेतु स्वीकृत रू० 8152.67 लाख के विरूद्ध संभावित बचत में से वैट राशि की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 3652.66 लाख तथा ए०एम०जी०/एम०एम०जी० के तहत विद्युत संबंधी छूट के लिए 3000.00 लाख रूपये अर्थात् कुल ₹ 6652.66 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 4. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

5. निवेश आयुक्त, मुम्बई कार्यालय की स्थापना हेतु दो नियमित पदों का सृजन, तीन प्रोफेसनल कर्मी एवं 2 सहयोगी कर्मी (कार्य आधारित सेवा पर) की स्वीकृति तथा इस कार्यालय के स्थापना व्यय के लिए ₹ 85,19,200.00 (पच्चासी लाख उन्नीस हजार दो सौ रूपये) मात्र अनुमानित वार्षिक व्यय एवं इस वर्ष 2012–13 में अवशेष एक माह के लिए ₹ 6,26,600.00 (छः लाख छबीस हजार छः सौ) मात्र अनुमानित व्यय पर योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 5. **स्वीकृत।**